कार्यालय नगर परिषद चूरू

क्रमांकः– न.प. / चूरू / फायर शाखा / 2023–24 / 8269 दिनांक :– 07/08/2023

श्रीसुनीष सेबास्टयन पुत्र सेबास्टयन
निवासी –235,क्राइस्ट जोति मिसन भवन,
पेरूमबावुर (पार्ट).एरनाकुलम,केरला।
वास्ते–लिटिल फ्लोवर स्कुल,
शेखावत कॉलोनी,चूरू (राज0)

अस्थाई अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र (Fire Safety Certificate)

यह प्रमाण पत्र केवल एक वर्ष के लिए वैध है।

आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को आवेदित दस्तावेजो के आधार पर आपके विद्यालय (लिटिल फ्लोवर स्कुल, शेखावत कॉलोनी,)चूरू (राज0) का निरीक्षण दिनांक 03.08.2023 को नगर परिषद चूरू के फायर इन्चार्ज के द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक / व्यवस्थापक (जिनका नाम श्रीसुनीष सेबास्टयन है) की उपस्थिति में किया गया, जिसके क्रम में **बिन्दु संख्या 01 से 11** तक अंकित निम्नांकित शर्तो की पालना में आप द्वारा सख्ती के साथ सुनिश्चित करने की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) अग्नि सुरक्षा प्रमाण – पत्र एक वर्ष के लिए किया जाता है।

01. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
02. आपको समय – समय पर अग्निशमन संसाधनो को अपग्रेड करते रहना होगा, एवं तल–घर (बेसमेंट) को उपयोग में लेने से पूर्व ऑटो स्प्रिकलर,एक इलेक्ट्रोनिक पम्प (जॉकी पम्प) 180 LPM स्थापित करना होगा। तथा नवीनीकरण से पूर्व सभी संसाधनो को फिट टू रन कंडिशन में रखना होगा। आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की पालना सुनिश्चिता करनी होगी।
03. आपके द्वारा प्रस्तुत भू–खण्ड निर्माण दस्तावेजानुसार 8763.01 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल पर राशि गणना की गयी है इसमें किसी भी प्रकार की खामी पाये जाने की दशा में आपसे भविष्य में भी वसूली की जा सकती है।

P.T.O.

04. भवन में आपातकालीन निकास (Fire Exit) व अन्य सभी प्रकार के साईन बोर्ड जो कि अग्निशमन उपकरणो तथा सुनिश्चित बाहर निकलने के रास्ते को इंगित (दर्शाता) हो, को अपग्रेड करना होगा।

05. फायर कंट्रोल रूम एवं पी.ए. सिस्टम बेट्री चलित व्यवस्था पर रखना होगा, तथा 24 घंटे प्रशिक्षित फायर स्टाफ तैनात रखना होगा।

06. भवन में बाहर निकलने के समस्त रास्ते एवं सीढिया अवरोध मुक्त रखने होगे, तथा रास्तो में आपात रोशनी व्यवस्था एवं फायर प्रिवेंशन/प्रोटेक्शन एवं लाईफ सेफ्टी की व्यवस्था भारत की राष्ट्रीय भवन–निर्माण संहिता 2016 में उपबंधित नियमों अनुसार सुनिश्चित रखनी होगी।

07. समय–समय पर भवन में कार्यरत समस्त कर्मचारियो को दुर्घटना बचाव हेतु वर्ष में माहवार प्रशिक्षण दिलवाया जाना होगा।

08. किसी भी समय निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाए जाने अथवा ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग व भण्डारण की स्थिति में प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता/सम्बन्धित अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

09. शपथ पत्र में अंकित समयानुसार भवन एवं भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजो की पूर्ति न करने पर नवीनीकरण की पात्रता नहीं रहेगी।

10. यह प्रमाण–पत्र केवल अस्पताल परिसर (**जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 8763.01 वर्गमीटर है**) के लिए ही मान्य होगा।

11. यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त शर्तानुसार **बिन्दु संख्या 01 से 11 की पालना में एक वर्ष तक वैध रहेगा**, तथा एक वर्ष पश्चात् पुनः निरीक्षण लिए जाने के उपरान्त दस्तावेजो की कमी पूर्ति पश्चात् निकाय द्वारा निर्धारित नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जाकर प्रमाण –पत्र को नवीनीकरण करवाया जा सकेगा एवम् पुर्व जारी प्रमाण पत्र की समाप्ति की समयावअधि निकल जाने के पश्चात आप द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया भविष्य में इस प्रकार की कोताही नही बरती जावें।

आयुक्त
नगर परिषद चूरू